

लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

गौतम नगर, भोपाल-462 021

Gautam nagar, Bhopal-462 021

दूरभाष: 91-755-2583650, फैक्स: 0755-2583651 ई-मेल: dpl_mp@sanchetnet.in

क्रमांक. स्था-2/एम/ /2011/1563
प्रति,

भोपाल, दिनांक, 14/10/11

संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल
मध्य प्रदेश।

विषय: ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किये जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान
किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक.3048. दिनांक 28.09.2011.

संदर्भित पत्रान्तर्गत आपने ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य करने के एवज में
प्राचार्यों, व्याख्याताओं को अर्जित अवकाश प्रदाय करने के संबंध में निर्देश चाहे है।

उक्त संबंध में म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप. क्रमांक
410/2008/नियम वार. दिनांक 16. जून 2008 के द्वारा इस संबंध में आवश्यक
निर्देश जारी किये गए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया इन निर्देशों के तहत
प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

(मीठा) 15. x. 2011
सहायक संचालक
लोक शिक्षण म0 प्र0

पृष्ठां क्रमांक. स्था-2/एम/ /2011/1564

भोपाल, दिनांक, 14/10/11

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ अफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण (स्थानीय)
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- उप संचालक, समन्वय (स्थानीय)
- सहायक संचालक, स्था-1 (स्थानीय) की ओर टीप क्रमांक. स्था01/166.
दिनांक 04.10.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक संचालक स्था-3 (स्थानीय)
- समन्वयक कम्प्युटर (स्थानीय) की ओर विभागीय पोर्टल पर लोड करने
हेतु सूचनार्थ।

(मीठा)
सहायक संचालक 15. x. 2011
दोन्ह किश्ता म0 प्र0

Badkul

C:\Documents and Settings\establishment2\Desktop\badkul latter.doc

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय

क्रमांक: ५१३ /२००८/वित्त/पर
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६ जून, २००८

१

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त कमिशनर

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश।

विषय- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवगों को अवकाश सुविधा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-१/१३/१७/न-१/चार, दिनांक १६-९-१९८० के द्वारा गाँव शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी अधिकतम सीमा २४० दिन है। विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवगों जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर बुलाये जाने के फलस्वरूप ब्लाक छूट के बदले देय अर्जित अवकाश के उवानिवृत्ति के समय नगदीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :-

- (1) अर्जित अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु विश्रामावकाश की अवधि ४५ दिन निर्धारित की जाती है। ड्यूटी पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता, ३० दिन की अधिकतम सीमा के अधीन उतने दिन की ही हो जितने दिन ड्यूटी पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ नहीं लिया जा सका। यदि अन्य कारणों से अतिरिक्त विश्रामावकाश की सुविधा देय है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता के प्रयोजन हेतु गणना में नहीं जायेगी। यह व्यवस्था दिनांक १-१-२००८ से लागू की जाती है।
- (2) दिनांक १-१-२००८ से पूर्व में प्रकरणों में अर्जित अवकाश की स्वीकार्यता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम १९७७ के दिनांक १-१-२००८ के पूर्व प्रभावशील नियम २७ (२) के अनुसार होगी अथात ऐसे शासदीय कर्मचारी जिसे सम्पूर्ण विश्रामावकाश का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया है, स्वीकार्य अर्जित अवकाश ३० दिन के अर्जित अवकाश का वह अनुपात होगा जो उपभोग न किए गए विश्रामावकाश के दिनों तथा सम्पूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में से होगा। यदि किसी वर्ष विश्रामावकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो उसके एक वर्ष के लिए नियम २५ के प्रावधानों के अनुसार अर्जित अवकाश ज्वोकार्य होगा।
- (3) विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवगों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी जाए।

कृष्ण रघुवर
दित्ता देवगन
(नियम शासन)

PTO

- (4) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संबंधों को 10 दिन का अतिरिक्त अंजित अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश क्रमांक एफ-44-32/वी-2/बीस/97, दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप रोतारत शिक्षकों के अवकाश खातों में आवश्यक सुधार किया जाए। दिनांक 1-1-2008 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के अवकाश खाते पुनः न खोले जाएं, भले ही उनके स्वत्वों का निराकरण दिनांक 1-1-2008 के पश्चात किया गया / जाना हो।
- (5) शैक्षणिक संबंधों को विश्रामावकाश से बंचित किए जाने के बदले प्राप्त होने वाले अवकाश का लेखा अंजित अवकाश के लेखे की तरह ही रखा जाये।
- (6) शैक्षणिक संबंधों को मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1642/4106/नि-1/82/चार, दिनांक 17-12-1982 के अनुसार ब्लाक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाय तथा इस लघुकृत अवकाश के नगरीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी व्यो नहीं होने से इसके नगरीकरण की सुविधा शैक्षणिक संबंधों को भी उपलब्ध नहीं होगी।

2/ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के सुआंगत नियमों में यथाआवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अदेशानुसार
अंजित
(ए.पी. श्री वाल्टाय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मुद्रित:

(10)

पृष्ठा क्रमांक : 420 / 2008/नियम/चार

प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2008

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रभुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. निस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल / जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिकारी / उप महाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. अधिकारी (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. आयुक्त, जनसंघक संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
15. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल :
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
18. सभी पार्श्वार्थी, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
19. संयुक्त संचालक, जनसंघक प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
22. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
23. गाड़ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


 (डी.के. सक्सैना)
 अवर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


 दुनिंदग अधिकारी
 प्रिया विभाग
 (नियन शाखा)